

Dean, Student Welfare



Lucknow University  
Lucknow

Dated.....

Dated – 12.03.2018

## NOTICE

Applications for getting financial assistance from Poor Student Aid Fund can be submitted by eligible students by 27.03.2018 in the office of the Dean of concerned Faculty along with required documents. Application Form can be downloaded from the University website: [www.lkouniv.ac.in](http://www.lkouniv.ac.in).

(Prof. R.K.Singh)

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Secretary to V.C. for kind information of Hon'ble Vice-Chancellor, University of Lucknow.
2. PS to P.V.C. for kind information of Pro Vice-Chancellor, University of Lucknow.
3. All Deans and Heads of the Faculties of Arts, Science, Law, Education and Fine Arts, L.U
4. All Directors and Coordinators, L.U
5. Controller of Examination, L.U.
6. Dean, College Development Council, L.U.
7. Proctor, L.U.
8. Chief Provost, L.U.
9. In Charge, Engineering Faculty, L.U.
10. Finance officer, University of Lucknow.
11. Director, IPPR, University of Lucknow.
12. P.A. to Registrar, University of Lucknow.
13. In charge Website with request to upload on Lucknow University Website.

(Prof. R.K.Singh)

परिचय पत्र संख्या .....

**लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ**

निर्धन विद्यार्थी सहायता आवेदन-पत्र  
**शुल्क की प्रथम किस्त का विवरण**  
धनराशि .....

वर्ष .....  
दिनांक .....

..... संकाय  
रसीद संख्या .....

(तथ्यों के असत्य अथवा भ्रामक सिद्ध होने पर, मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जायेगा)

1. विद्यार्थी का नाम ..... कक्षा ..... वर्ष/सत्र.....

2. मोबाइल नं०

3. स्थानीय पता .....

4. स्थायी पता .....

5. पिता/अभिभावक का नाम ..... व्यवसाय .....

नौकरी पेशा है तो विभाग का नाम ..... पदनाम .....

मासिक आय ..... कुल वार्षिक आय .....

6. माता का नाम ..... व्यवसाय .....

नौकरी पेशा है तो विभाग का नाम ..... पदनाम .....

मासिक आय ..... कुल वार्षिक आय .....

7. विश्वविद्यालय अथवा अन्यत्र महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भाई तथा बहनों की संख्या .....

8. गत वर्षों के परीक्षा परिणाम :-

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी	प्रतिशत	अन्य विवरण/ यदि कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है
हाईस्कूल				
इण्टरमीडिएट				
स्नातक (प्रथम)				
स्नातक (द्वितीय)				
स्नातक (तृतीय)				
परास्नातक				
अन्य				

9. विश्वविद्यालय अथवा अन्य स्रोत से प्राप्त छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता मिल रही है, तो उसका विवरण .....
10. यदि अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है, उसका विवरण .....
11. आवेदन से परिचित दो उत्तरदायी तथा प्रतिष्ठित सज्जनों का नाम व पता जिनसे आवेदक के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकें:-
  1. ....
  2. ....

दिनांक .....

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

**आवश्यक निर्देश :-**

1. आवेदन-पत्र के साथ आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उसके अभाव में विचार नहीं किया जायेगा।
2. शुल्क रसीद की छायाप्रति।
3. शुल्क की प्रथम किस्त न जमा करने वाले अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं होगा।
4. पिता/माता/अभिभावक की आय प्रमाण (नौकरी पेशा में है तो सेवायोजक से अन्यथा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/तहसीलदार से)

विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष की संस्तुति

**निर्धन विद्यार्थी सहायता निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें :**

1. सहायता प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रु० 02 लाख से अधिक न हो अथवा समय-समय पर संशोधित सरकारी आदेशों के अनुसार हो। इस उद्देश्य हेतु प्रार्थी को तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर दिखना चाहिए।
2. इस निधि से सहायता के लिए केवल वही विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्हें पिछले सेमेस्टर अथवा वार्षिक परीक्षा में न तो अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है और न ही उनका बैक पेपर आया हो।
3. विद्यार्थी पिछली परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. विद्यार्थी की पिछले सत्र में कम से कम 75% उपस्थिति रही हो।
5. विद्यार्थी परिसर के अन्दर एवं बाहर किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न न रहा हो। कुलानुशासक कार्यालय द्वारा संस्तुत इस आशय का प्रमाण पत्र विद्यार्थी को संलग्न करना होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

(निर्धन विद्यार्थी सहायता आवेदन-पत्र जमा करने की रसीद)

1. विद्यार्थी का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. कक्षा एवं विषय ..... परिचय पत्र संख्या .....